रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 1973/अग्रहायण 7, 1895

No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 1973/AGRAHAYANA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 November, 1973

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972 (78 of 1972) the Central Government hereby constitutes and Tribunal, consisting of Shri Justice Ajit Kumar Sarkar, Additional Judge of the Calcutta High Court.

[No. 8(5)/73-HM-III.]

S.M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 508(अ).—रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 78) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्राधिकरण गठित करती है जिसमें श्री न्यायमूर्ति अजीत कुमार सरकार, अपर न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय होंगे ।

[सं० 8 (5)/73—एच एम—3]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973